न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–[redacted]2/2018 प्रार्थना पत्र
श्री रूघनाथ जी महाराज जरिये पुजारी प्रबन्धक सीताराम पिता नारायणदास वैष्णव, उम्र बालिग निवासी कृषि उपज मंडी के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ––––––प्रार्थी

बनाम

1–श्री श्यामलाल पिता कान्हा तेली, उम्र बालिग निवासी खाखरा वाले देवता का स्थान, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–श्री राधेश्याम पिता मीठूदास वैष्णव, उम्र बालिग निवासी भारद्वाज हॉस्पीटल के पास, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–श्री वीरमदेव पिता लाला तेली, उम्र बालिग निवासी नाथ जी का मोहल्ला, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––––विपक्षीगण

––––––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–19.2.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व ानियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर पटवार ा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। क्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा ड नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने ो एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः ि का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ो शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं के कारण दिनांक 16.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा न सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते य सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत कार किया जाकर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, 276 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 500/–रूपयें कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner